


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये




सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रांट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति का अंश है। पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।

केता फर्म निम्न खसरा नम्बर में अन्य बैनामे दिनांक 24.08.2009 के द्वारा सहखातेदार है।

हम ओंकार सिंह पुत्र स्व० जीत सिंह ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ- प्रथम पक्ष /विकेता • एवं

'ए टू जैड बिल्डर्स एवं डवलपर्स' रजि० आफिस के-6, पल्लवपुरम आवासीय कालोनी फेज द्वितीय, मेरठ द्वारा अधिकृत पार्टनर विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159-शास्त्री कालोनी, कंकरखेड़ा, मेरठ - द्वितीय पक्ष /केता

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹.10

RS.10



INDIA NON JUDICIAL

6544 621302

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पक्ष भूमिधरी भूमि खतौनी साल 1403 ता 1408 फसली अनुसार खाता संख्या 164 के खसरा नम्बर 1376, रकबा 0.174 हे० शून्य दशमलव एक सात चार हैक्टेयर व 1442, रकबा 0.054 हे० शून्य दशमलव शून्य पांच चार हैक्टेयर व 1444, रकबा 0.034 हे० शून्य दशमलव शून्य तीन चार हैक्टेयर कुल 3 तीन नम्बर कुल रकबा 0.262 हे० शून्य दशमलव दो छः दो हैक्टेयर लगान. 12.62 रुपये सालाना का अपना समस्त 1/18 भाग यानि विक्रित भूमि 0.0145.5/9 शून्य दशमलव शून्य एक चार पांच सही पांच बटों नो हैक्टेयर स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरघना जिला मेरठ का पूर्ण स्वामी है, और प्रथम पक्ष को बहसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भारी दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में समस्त व सम्पूर्ण भूमिधरी विक्रित उक्त के मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो बदले अंकन 72.812/- बहत्तर हजार आठ सौ बारह

[Signature]
T. N. S.



रूपये कि. आधे जिसके अंकन 36.406/- छत्तीस हजार चार सौ छः रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते 'ए टू जैड बिल्डर्स एवं डवलपर्स' रजि० आफिस के-6, पल्लवपुरम आवासीय कालोनी फेज द्वितीय, मेरठ द्वारा अधिकृत पार्टनर विनोद कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी 159-शास्त्री कालोनी, कंकरखेड़ा, मेरठ को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद रजि० के समय प्राप्त करके विक्रित भूमिधारी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधारी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भाति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधारी विक्रित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधारी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाये, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहाँ कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधारी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

दिनांक: 24.08.2009 (चौबीस अगस्त सन दो हजार नौ ई०)

प्रालेख नरेश राजवंशी, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)

प्रा. ३०३३

Prakash Kumar

१०००

पुश्पल कुशाल

(सुशील कुशाल)

१०००

१०

Prakash Kumar
Prakash Kumar

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

रजत कुमार/डायर

उत्तर

रजत राय/डायर

चरगाह

लगभग 200 मीटर

रजत कुमार

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग - 9
2. बाग / नर्सरी - 9
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन - 2
4. शैक्षिक संस्थान / धर्मार्थ संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र - 1
5. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज - 1
6. गैस गोदाम / पेट्रोल पम्प / नलकूप - 1
7. होटल / रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र - 2
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय - 2
9. अन्य

घोषणा- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

रजत कुमार

हस्ताक्षर क्रेता

रजत कुमार




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के
अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता

श्री चार सिंह


बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

19-11-2018

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:




दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

Shree Singh

श्री चार सिंह





आज दिनांक 24/10/19
प्रति पुरतक संख्या R-संख- 2393
के प्रक 6 पर एक संख्या 9157
पर रजिस्ट्रीकरण ...
उप नि. प्रक. संख्या

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹ 5000

पाँच हजार रुपये

RS. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य 72,812/- रुपये

निम्न भूमि डवलपर कम्पनी द्वारा कय की जा रही है, अतः जिलाधिकारी द्वारा जारी दर सूची के अनुसार अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित दर 50,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

सर्किल रेट अनुसार कीमत 72,778/- रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 5110/- रुपये स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यला पूर्वक पालन किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रिन्न भूमि राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

विक्रित भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]